न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :— प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0——492 / 2025

प्रविष्टि दिनांक——05.08.2025

रेवडमल पुत्र वक्सा जाति मीना निवारसी तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक राज0

प्रार्थी

तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला—टोंक

— अप्रार्थीगण

उपस्थित— अधिवक्ता श्री तेजभंवर सिंह राठौड़ — प्रार्थी
पेरोकार सरकार— तहसीलदार निवाई

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू—राजस्व अधिनियम

दिनांक 27/2/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व उसके भाईयों के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 0.9991 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 495 रकवा 1.3405 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 496 रकबा 1.3911 हैक्टेयर वाके ग्राम तुर्किया पटवार हल्का तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक राज. में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण मौके पर काविज मालिक चले आ रहे है। उक्त आराजी की पूर्व में एक ही जमाबन्दी थी जिसमें सम्वत 2011 से 2030 में स्पष्ट रूप से आवेदक के पिता काल्या पुत्र रूपा का हिस्सा 1/12 अंकित है तथा मांग्या वल्द वल्या का हिस्सा 1/12 अंकित है दोनों हिस्से अलग—अलग रूप से भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की सम्वत 2011 से 2030 तक की खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी मे दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और उक्त हिस्से के अनुसार तीनों खसरा नम्बर 495, 496, व 288 में मौके पर काविज काश्त करते चले आ रहे है चुकि काश्तकार अनपढ व्यक्ति है जो राजस्व रिकार्ड में ज्यादा नहीं समझते इसलिये राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से मांग्या पुत्र बल्या व काल्या पुत्र रूपा का हिस्सा एक जगह जोडते हुये 1/12 कर दिया जवकि दोनों अलग अलग 1/12 व 1/12 हिस्सा है इसके वाद उक्त गलत त्रूटिवश वाद की जमावन्दीयों में चलती रही जबकि मांग्या के वारिसान का उक्त भूमि में 1/12 हिस्से में काविज काश्त है और तीनों खसरा नम्बर की भूमि में मांग्या के वारिसान मौका हिस्सा 1/12 निहित है। काल्या के वारिसानों का सजरा निम्न प्रकार है—

काल्या पुत्र रूपा(फोत)
!
बक्शा पुत्र काल्या(फोत)
!

रेवड़(पुत्र)	गोपाल(पुत्र)	जनता(पुत्र)	मांगी(पत्नी)

इस प्रकार सजरे अनुसार बक्श के वारिसान का हिस्सा 1/12 दर्ज होना चाहिए था परन्तु सहवन से सम्वत 2031 के बाद की जमाबंदी में हिस्सा घटाते घटाते सम्वत 2056 से 2059 की जमाबंदी में मांग्या पुत्र बल्या व काल्या पुत्र रूपा का हिस्सा 1/12 कर दिया गया। और वर्तमान जमाबन्दी से नाम ही हटा दिया गया। इसलिये रिकार्ड जमावन्दी में आवेदक का नाम जोड़ा जाकर वक्शा के वारिसान के हिस्सा 1/12 का अंकन कर राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी को दुरूस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप जमाबन्दी खतौनी संवत् 2068–71, 2011–30, 2027–30, 2044–47 की जमाबंदी प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। भू0अ0नि0 दत्तवास व पटवार हल्का तुर्किया से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। भू0अ0नि0 व पटवार हल्का से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि ग्राम तुर्किया के आराजी खसरा नम्बर 288, 495, 496 वरवक्त खतौनी बन्दोबस्त (संवत् 2011–2030) मांग्या वल्द बाल्या हिस्सा 1/12 व काल्या वल्द रूपा हिस्सा 1/12 पृथक पृथक अंकित है। जिसकी बन्दोबस्त खतौनी संवत् 2011–2030 संलग्न है। बन्दोबस्त रिकॉर्ड के पश्चात् लिपिकीय भूल के कारण मांग्या वल्द बाल्या व काल्या वल्द रूपा दोनों को मिलाकर हिस्सा 1/12 अंकित कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है। तथा दुरूस्त योग्य प्रतीत होता है। जिसकी जमाबंदी संवत् 2026–2030 संलग्न है। वर्तमान रिकॉर्ड में लिपिकीय भूल के कारण उपरोक्त खातेदारान् का हिस्सा गलत अंकित हो जाने के कारण खातेदारान् के वारिसान को राजकीय कार्य व कृषि कार्य हेतु बाधा उत्पन्न होना स्वभाविक प्रतीत होता है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजियात ख0न0 288, 495, 496 वाके ग्राम तुर्किया के राजस्व रिकॉर्ड में काल्या के वारिसान का हिस्सा कुल रकबे के 1/12 हिस्से में से काल्या के प्रत्येक वारिसान का हिस्सा बराबर–बराबर अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में संशोधन कर शुद्धि किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने व प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नं. 288, 495, 496 वाके ग्राम तुर्किया के राजस्व रिकॉर्ड में काल्या के वारिसान का हिस्सा जमाबंदी खतौनी संवत् 2011–30 अनुसार शुद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट है कि ग्राम तुर्किया के आराजी खसरा नम्बर 288, 495, 496 वरवक्त खतौनी बन्दोबस्त (संवत् 2011–2030) काल्या वल्द रूपा हिस्सा 1/12 व मांग्या वल्द बाल्या हिस्सा 1/12 पृथक पृथक अंकित है तथा पेरोकार सरकार ने भी दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित अराजियात वाके ग्राम तुर्किया के आराजी खसरा नम्बर 288, 495, 496 भूमि के राजस्व रिकार्ड में काल्या के वारिसान का हिस्सा कुल रकबे के 1/12 हिस्से में से बराबर–बराबर अमल दरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी निवाई

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी निवाई